इंदिरा आवास के लिए किस्त की नई दर

जागरण ब्यूरो, पटना : इंदिरा आवास के लिए मिलने वाली राशि में पिछले दिनों की गई वृद्धि के मद्देनजर ग्रामीण विकास विभाग ने लाभुकों को दी जाने वाली किस्तों की नई दर तय कर दी है। प्रदेश के उग्रवाद प्रभावित 13 जिलों में दझसरी किस्त की राशि पांच हजार रुपये अधिक होगी।

विभाग के सचिव अमृत लाल मीणा ने इस संबंध में जिलाधिकारियों को जारी निर्देश में कहा है कि पहली किस्त की राशि अग्रिम के रूप में दी जाएगी, जबकि दझसरी किस्त का भुगतान छत ढलाई हो जाने के बाद किया जाएगा। किस्त की नई दर चालझ वित्तीय वर्ष में बनने वाले इंदिरा आवास पर लागझ होगी। समय पर निर्माण कार्य पझरा करने के लिए फोटोयुक्त साक्ष्य दिया जाना अनिवार्य कर दिया है। निर्माण की प्रगति की फोटो मिलने के बाद ही दझसरी किस्त की राशि का भुगतान होगा।

समय पर निर्माण कार्य पझरा करने वाले महादलित वर्ग के लाभान्वितों को मुख्यमंत्री इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना के तहत प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।

उग्रवाद प्रभावित जिलों में पांच हजार रुपये अधिक होगी दूसरी किस्त

अनिवार्य रूप से देना होगा निर्माण की प्रगति का फोटोयुक्त साक्ष्य

किस्त की नई दर

सामान्य जिले	
पहली किस्त	50 हजार रुपये
दूसरी किस्त	20 हजार रुपये
उग्रवाद प्रभावित जिले	
पहली किस्त	50 हजार रुपये
दूसरी किस्त	25 हजार रुपये

उग्रवाद प्रभावित जिले

औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, रोहतास, जमुई, नवादा, मुंगेर, कैमूर, सीतामढ़ी एवं मुंगेर